मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–31.12.2024 को राज्य के जिला पदाधिकारियों के साथ (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

(i) बैठक में अपर मुख्य सचिव, बिहार के समक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं का ऐजेंडावार PPT प्रस्तुतिकरण दिया गया।

(ii) राजस्व संबंधित कार्यो यथा–दाखिल–खारिज, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा–2, आधार सिडिंग, ई–मापी सहित आर0सी0एम0एस0 इत्यादि में प्रगति के आधार पर तैयार जिलावार रैंकिग की समीक्षा की गई, इसमें पहले पैदान पर शेखपुरा एवं अंतिम पैदान पर पटना को स्थान प्राप्त हुआ।

इसी क्रम में मुख्य सचिव महोदय ने सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया की अपने जिलों में राजस्व संबंधित कार्यों का सतत् मॉनिटरिंग करे एवं अपनी रैंकिग में सुधार लायें।

(iii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आमलोगों से जुड़ा विभाग है। राजस्व संबंधित कार्यों का ससमय प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन विभाग की छवि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य सचिव, बिहार ने समाहर्त्ता, लखीसराय को निर्देश दिया कि वे परिर्माजन एवं दाखिल–खारीज से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन कैंप आयोजित कर तीव्रता के साथ करें। साथ ही साथ सभी समाहर्त्ता को निर्देश दिया की वे नियमित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डैसबोर्ड का अवलोकन करेंगे एवं लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

इसी क्रम में मुख्य सचिव महोदय ने सभी समाहर्त्ता को निर्देश दिया कि वे दाखिल–खारीज एवं परिमार्जन प्लस में दिये गयें आवेदन में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा सात दिनों में अपना प्रतिवेदन देना सुनिश्चित कराये ।

(iv) अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उन जिलों के समाहर्त्ताओं को निर्देश दिया गया जहाँ के अंचल में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है, कि वे अपने स्तर से राजस्व पदाधिकारी को संबंधित अंचल का प्रभार दें। इसके साथ ही साथ न्यायिक कार्यो की शक्ति भी समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की जाय। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव महोदय ने समाहर्त्ता पूर्वी चम्पारण एवं नवादा को अपनी रैंकिग में सुधार लाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिया, ताकि समय–सीमा के भीतर राजस्व सेवाओं का लाभ आम जनमानस को मिल सकें।

(v) अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्त्ताओं को निर्देश दिया कि वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जा रही सुविधा का सतत् मूल्यांकन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ इनमें प्रगति लाने हेतु सप्ताहिक रूप से आवश्यक दिशा–निर्देश देंगे एवं इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में पी0पी0टी0 प्रस्तुतिकरण के उपरांत निम्न विषयों की समीक्षा की गई :–

(1) <u>दाखिल–खारिज :–</u> पी0पी0टी0 के माध्यम से म्यूटेशन के नये Version म्यूटेशन प्लस के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सबसे निम्न जिलें यथा–नवादा, **अररिया**, **शिवहर**,

पश्चिम चम्पारण द्वारा दाखिल–खारिज मामलों का निष्पादन अपेक्षाकृत औसत से काफी कम है। दाखिल–खारिज़ की समीक्षा की गई एवं समीक्षा के क्रम में दाखिल–खारिज के बड़ी संख्या में लंबित मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करने पर चिन्ता व्यक्त की गई। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी समाहर्त्ता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल का सतत् मूल्याकंन करेंगे।

दाखिल–खारिज आवेदनों की निष्पादन समय–सीमा के भीतर नहीं होने के कारण अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे हल्कावाइज रिपोर्ट का अवलोकन करें। अंचलाधिकारी रोस्टर के अनुसार हल्कावाइज कैम्प लगाकर दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चत करें ताकि लंबित आवेदनों की संख्या में कमी आए।

(अनुपालन :–विभागीय प्रशाखा–09ए)

(2) <u>Parimarjan Plus-</u> समीक्षा के क्रम में नये परिमार्जन प्लस में अन्तरनिहित किये गये नये पहलूओं के विषय में बताया गया। अब परिमार्जन प्लस पोर्टल Citizen Friendly हो गया है छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाजेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन Sumbit किये जा सकते है।

पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण के साथ–साथ परिमार्जन प्लस एवं कम्प्यूटराईजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी के आवेदन को पूर्णतः एवं सही ढंग से भरने का डेमो दिया गया। समीक्षा के क्रम में वैसे जिलें यथा–**जमुई, नवादा, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, भोजपुर** में परिमार्जन प्लस के माध्यम से निष्पादन अपेक्षाकृत कम है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जिस स्तर पर मामलों को लंबित रखा गया है उससे संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से कारणपृच्छा की जाय। यदि कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं हो तो विभागीय कार्यवाही संचालित करना सुनिश्चित की जाय।

समीक्षा के क्रम में परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनों में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण अपर मुख्य सचिव द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई इस हेतु उनके द्वारा सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि परिमार्जन प्लस पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन ससमय 100 प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

परिमार्जन प्लस आवेदन में छूटे हूए जमाबंदी को अद्यतनीकरण करने वाले पोर्टल पर विशेष ध्यान दें एवं अगर कोई आवेदन रैयत के लॉगिन में वापस किया जाता है तो उसके कारण स्पष्ट उल्लेखित हों।

(अनुपालन :–विभागीय प्रशाखा–09ए)

(3) <u>E-Mapi</u> :– वर्तमान में जारी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस भू–सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए जमाबंदी एवं परिमार्जन के अतिरिक्त ई–मापी भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें विलम्ब को किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

सर्वप्रथम पी0पी0टी0 के माध्यम से ई–मापी से संबंधित कार्यो की समीक्षा की गई के। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि **पटना, भोजपुर, गया एवं मधेपुरा** जिलों द्वारा ई–मापी से संबंधित कार्य का निष्पादन अपेक्षाकृत बहुत कम है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि बिना उचित कारण के लंबे समय तक ई–मापी निष्पादन नहीं किये जाने वाले अंचल में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी से कारणपृच्छा की जाय।

ई–मापी के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी समाहर्त्ता ई–मापी के लंबित मामलों का सतत् मूल्याकंन करेंगे। साथ ही मापी के अंचलावार लंबित मामलों को देखते हुए संबंधित समाहर्त्ता को अमीनों की प्रतिनियुक्ति Rationalize way में करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–विभागीय प्रशाखा–7)

(4) **Abhiyan Basera :-** अभियान बसेरा–2 बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं मे से एक है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अंचल में अभियान बसेरा–2 के अन्तर्गत तैयार सूची में अंकित लोगों/परिवारों को भूमि आवंटित/पर्चा वितरित न कर सूची से बाहर के लोगों/परिवारों को पर्चा वितरित किया जा रहा है। यह नियम के विरूद्ध हैं। सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीकें से वासगित भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे अंचज अधिकारी की मासिक बैठक में अभियान बसेरा के तहत प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। वैसे वास भूमि विहिन सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें सरकारी भूमि से अच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय योजना का लाभ देना सुनिश्चित करायें।

(5) भू–समाधान :- भूमि विवाद समाधानों के त्वरित निष्पादन संबंधी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निदेश के आलोक में सभी अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के संयुक्त बैठकों की समीक्षा की गई एवं निदेश दिया गया कि सभी समाहर्त्ता, बिहार इसका साप्ताहिक अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6) लगान सुधार/अद्यतनीकरण हेतु सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे इसमें अपेक्षित सुधार दिनांक–10.01.2025 तक 100 प्रतिशत कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु सभी राजस्व कर्मचारी हल्कावार शिविर का आयोजन करते हुए इसका निष्पादन करेंगे। साथ ही मार्च 2025 तक लगान की वसूली 100 प्रतिशत करेंगे।

(अनुपालन :–प्रशाखा–7)

(7) RCMS (राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली) :- RCMS के तहत राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है इसका मकसद ऑफलाइन मुकदमों को शून्य किया जाना हैं। अंचल अधिकारी से लेकर प्रमण्डलीय आयुक्त तक सभी राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से निष्पादित की जा रही है। इस हेतु विभागीय स्तर पर अनुश्रवण की व्यवस्था की समीक्षा की गई। समीक्षा के आलोक में निम्न निदेश दिये गये–सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपने न्यायालीय कार्यो का निष्पादन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेंगे। कम से कम साप्ताह में 4 दिन न्यायालीय कार्य करेंगे। भारत सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों के डिजिटाइजेशन हेतु प्रत्येक न्यायालय को एक लाख रूपये की राशि प्रदान की जा रही है। इस हेतु सिर्फ 7 जिलों ने इसका उपयोग किया है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अपर समाहर्त्ता के न्यायालीय कार्य में लंबित वादों की संख्या के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि वे अपर समाहर्त्ता के न्यायालीय कार्य का सतत् अवलोकन करेंगे।

(अनुपालन :–प्रशाखा–7 एवं 9)

(8) अन्यान्य–अंत में मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएं आमजनों को प्रभावित करती है। इसलिए इसके त्वरित एवं स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी एक टीम भावना के साथ कार्य करें। साथ ही जनवरी, 2025 के अन्त में, विभाग द्वारा अंचलवार समीक्षा की जाय एवं वैसे 10 अंचल जिनका Performance पिछले चार माह से लगातार सबसे खराब रहा हो उनपर आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार समाहर्त्ता द्वारा भी हलकावार समीक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक अंचल में लगातार सबसे खराब प्रर्दशन करने वाले हलका कर्मचारी पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनु0–पी0पी0टी0।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

9/1/25

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

9/1/25

(अमृतलाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

Fax/
E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (CS)–36/2022– 24 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 10/01/25

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (CS)–36/2022– 24 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 10/01/25

प्रतिलिपि– विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/तीनों निदेशालय/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (CS)–36/2022– 24 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक– 10/01/25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।